रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 1993/पौष 1, 1915
No. 778] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 1993/PAUSA 1, 1915

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 22 दिसम्बर, 1993

का.आ. 1006(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस. एस. चट्टोपाध्याय, पटसन आयुक्त एतद् बी टवील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सें. मीटर × 67.5 सें. मीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सें. मीटर एच. डी. 1020 ग्राम बोरा 6 × 8, 3-नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (2566–1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 1,475.72 रुपये

प्रति एक सौ बोरे नियत करता हूं, इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय दिसम्बर, 1993 के दौरान किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता का वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्मागी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं. 8(3)/93—जूट]

एस.एस. चट्टोपाध्याय, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 22nd December, 1993

S.O. 1006(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, S. S. Chattopadhyay, Jute Commissioner hereby fix Rs. 1,475.72 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B : Twills (a variety of Jute Textiles) of the size 112.4 cms. × 67.5 cms. Hd. W.I.P. 112 cms. Hd. 1020 gms. per bag 6×8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566-1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of December, 1993.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8(3)/93-Jute]

S. S. CHATTOPADHYAY, Jute Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993